न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम शंकरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार निवासी आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

प्रार्थना–पत्र नम्बर 195/2021 **RCMS No.2021/248**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.07.2023	पत्रावली अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार सा. आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी के निवेदन पर आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप मे इस प्रकार से है कि तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत अप्रार्थी शंकरलाल पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार सा. आसनपुरा तहसील कुचामनसिटी के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत किया, ग्राम आसनपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 921 रकबा 1.0236 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.022 हैक्टर को अप्रार्थी ने बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि उपयोग कर लिया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लघंन है, इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर उसे पाबंद फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 22.06.2021 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होकर शामिल मिसल उपलब्ध है, अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है अप्रार्थी अपने जीवन यापन करने हेतु उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में चाय की दुकान बनाकर रखी है शेष भूमि पर कृषि के उपयोग में लेते है कृषि की आय से जीवन का गुजारा चलाना काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए उक्त भूमि में अपने परिवार का जीवन यापन करने के दुकान चला रहा हॅ इसके अलावा अप्रार्थी का अन्य कोई आया का स्त्रोत नही है, उक्त खसरा नम्बर चाय की दुकान की भूमि का भू–रूपान्तरण हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को आवेदन किया हुआ था, लेकिन स्थगन के कारण उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया उक्त भूमि का अप्रार्थी रूपान्तरण का पुनः आवेदन करना चाहता है ताकि उक्त भूमि की किस्म में परिवर्तन किया जाकर व्यवसाय हेतु उपयोग में लिय जा सके अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें जिससे अप्रार्थी खातेदार भूमि का भू–रूपान्तरण के लिए आवेदन कर सके। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराया है तथा अप्रार्थी ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आसनपुरा पटवार मण्डल उगरपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 921 रकबा 1.0236 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय में से 0.022	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.11.03 12:35:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

	हैक्टर भूमि में केवल चाय की दुनान बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा है तथा जीवन यापन कर रहा है, माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भूमि रूपान्तरण का आवेदन भी खारिज हो चुका है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। अतः अप्रार्थी के जवाब में उल्लेखित तथ्यों पर विश्वास करते हुए इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 22.06.2021 एवं प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (मनोज,**RAS**) उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी(नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Date: 2023.11.03 12:55:53 IST Reason: SelfAttested	